

Volume 1; Issue 2
April to Jun 2025

E-ISSN: 3049-1134

International Journal of Political Studies

Peer Review

Indexed

Refereed Journal

Quarterly International Research Journal



पंचायती राज व्यवस्था अर्थ, अवधारणा और ऐतिहासिक विकास

श्री प्रफुल्ल कुमार

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग

आर. डी. एस. कॉलेज, सालमारी, कटिहार

सारांश

'पंचायती राज' शब्द का अर्थ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है। जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना तथा ग्रामीण विकास में को बढ़ावा देना है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण सशक्त परिवर्तन को देखा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायतों का स्वपन महात्मा गाँधी के सर्वोदय के आदर्श का व्यवहारिक रूप है क्योंकि पंचायतों के अभाव में न तो लोगों का विकास संभव हो सकता ज तो गांव का विकास संभव। पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास वर्ष 1870 में लार्ड मेयो के प्रस्ताव में भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की तथा रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। जो ग्रामीण समाज या समुदाय को सशक्त बनाने एवं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने प्रयास है। यह स्थानीय स्वशासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग विकास के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं साथ में विधान सभा एवं लोकसभा में भागीदारी के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। भारत में जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू है तब से आज तक अनेक महिला ग्राम प्रधान भी हुई हैं जो विधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुई हैं। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन इन स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को सौंपा जिनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। जिसमें महिला प्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका इस स्थानीय शासन के माध्यम से सशक्त किया है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, अर्थ, अवधारणा और ऐतिहासिक विकास।

पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

भारत में ग्रामीण संस्थाएँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। आदिकाल में "पंच परमेश्वर" की अवधारणा पंचायती राज के रूप में कार्य कर रही थी। पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन, मध्य और मुगलकाल के दौरान भी कार्य कर रही थी। हालांकि मुगलकाल पंचायती राजव्यवस्था औपचारिक रूप से आज की तरह संवैधानिक संस्था नहीं थी, लेकिन गाँवों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा मौजूद थी। ग्रामीण प्रशासन और न्याय व्यवस्था काफी हद तक ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती थी। पंचायत में गाँव के बुर्जग, प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति शामिल होते थे, जो सामूहिक रूप से ग्राम के सामाजिक आर्थिक और न्यायिक मामलों का निर्णय लेते थे। गांव का प्रमुख को मुखिया या 'मुकद्दम' कहा जाता था जिसकी भूमिका निम्न होती थी-

- सरकार के लिए मुगल शासन के लिए लगान (राजस्व) वसूल करना।
- गांव में कानून-व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रशासन और किसानों के बीच मध्यस्थ का काम करना

मुगल काल में पंचायत के साथ कुछ अन्य प्रशासनिक पद भी होते थे जो स्थानीय स्तर पर कार्य करते थे-जैसे पटवारी जो जमीन का रिकॉर्ड और फसल का हिसाब रखते थे। चौकीदार - गाँव की सुरक्षा और पंच- जो विवादों का समाधान करते थे। आधुनिक काल में पंच से पंचायत हुई जो स्थानीय स्वशासन के तौर पर

कार्य कर रही है। मुगल शासन में शासको ने आम तौर गाँवों की पारंपरिक पंचायत व्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया। उनका मुख्य ध्यान राजस्व संग्रह (Tax collection) पर था, इसलिए गाँवों को अपने स्थानीय मामलों को स्वयं संभालने की स्वतंत्रता मिलती थी। समकालीन समय में स्थानीय विवादों का समाधान जैसे जमीन, परिवार, सामाजिक झगड़े। सामाजिक नियमों का पालन करवाना, सार्वजनिक मंदिर कार्यों का देख रेख जैसे तालाब, रास्ते, मंदिर, यदि जैसे विषय पंचायत स्तर पर ही इसका समाधान हो जाता है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय पंचायती राज

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय आधारभूत स्तर पर स्वशासी संस्थाओं की स्थापना राष्ट्रीय विचारधारा का अंग था। इस समय राष्ट्रीय नेताओं ने महसूस किया कि भारत की आज़ादी और लोकतंत्र की मजबूती के लिए गाँवों को स्वशासी (self - Governing) बनाना जरूरी है। महात्मा गांधी जो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ग्राम स्वराज से मेरा अभिप्राय अपनी अत्यंत . महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र पूर्ण गणराज्य से हैं', पन्तु जहाँ निर्भरता एक आवश्यक है वहाँ वे एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है। महात्मा गाँधी मानते थे कि भारत की असली ताकत गाँवों में है, और हर गाँव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर गणराज्य (Village Republic) बनना चाहिए। पंचायत गाँव के प्रशासन न्याय और विकास का केन्द्र हो।

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय पंचायतो ने ग्रामीण जनता को संगठित किया जो राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े और आम जनता में स्वतंत्रता की भावना फैलाने में सफल रही। पंचायतों ने लोगो' में लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया और स्वशासन की भावना विकसित की। साथ ही सामाजिक सुधार जैसे कार्य पंचायत (हुआछूत के खिलाफ अभियान, शिक्षा का प्रसार, स्वदेशी और खादी का प्रसार) पंचायत के माध्यम से किए गए।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज

स्वतंत्र भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए 1952 में "सामुदायिक विकास कार्यक्रम" शुरू किया गया था, जिसे 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण लोगो की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक आर्थिक सुधार तथा लोगो में आत्मनिर्भरता का विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्र भारत में ऐसा कार्यक्रम था जिसमें नई खेती तकनीके अपनाना, बेहतर बीज, खाद, सिचाई की व्यवस्था करना ताकि ग्रामीण किसानों की आय बढ़ सके। ग्रामीण स्तर पर गरीबी कम करना, जीवन स्तर सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना। गाँवों की स्वावलंबी (self-reliant) बनाना ताकि वे अपने विकास के लिए स्वयं निर्णय ले सकें। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को फोर्ड फाउंडे फाउंडेशन की मदद से लागू किया गया। जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और ग्रामीण जनता के बीच

संपर्क और सहयोग स्थापित करना था। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए अनेक समितियों और अध्ययन दलों का निर्माण किया गया। जिसकी निम्नलिखित सिफारिशें हैं :-

बलवंत राय मेहता समिति नवम्बर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात कहीं जिसे अंतिम रूप में 'पंचायती राज' के रूप में जाना गया।

- त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना-
- गांव स्तर पर - ग्राम पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर - पंचायत समिति
- जिला स्तर पर - जिला परिषद

ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए।

- ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।

- सभी लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए।

- सभी योजना और विकास कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए।

- पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।

- इन सभी लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए

ताकि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन पर्याप्त विकसित हो सके।

समिति के सिफारिशों को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया बिना किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर न देकर यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। लेकिन बुनियादी सिद्धान्त और मुख्य आधार भूत विशेषताएँ पूरे देश में समान होनी चाहिए।

राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। यद्यपि 1960 तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित की। फिर भी इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली के संस्थाओं में अनेक अंतर थे। उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय जबकि तमिलनाडु में द्विस्तरीय और पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय पद्धति अपनाई गई। कहीं पंचायत समिति मजबूत की तो कहीं जिला परिषद।

अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए गठित की गई जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थे :-

- त्रि-स्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना।

- पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी की बात कहीं।

- अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति हो।

- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रम नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण के दशा में अधिक्रमण के हर 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए।

- जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए।

हालांकि समिति अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, जनता पार्टी की सरकार भंग होने के कारण, केन्द्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही न हो सकी। फिर भी तीन राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए।

जी. बी. के राव समिति :-

1958 में योजना आयोग द्वारा जी. बी. के. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया। समिति ने यह पाया कि विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इस प्रक्रियाएँ में पंचायती राज संस्थाएँ कमजोर हो गई हैं जो 'बिना जड़ की घास' बन कर रह गई है।

- इस समिति ने जिला परिषद् को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया दिए जाने की बात कही।

- नियोजन और विकास की उचित इकाई जिला है। जिला परिषद को ही सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए।

एल. एम. सिंघवी समिति 1986

1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने लिए इस समिति का गठन किया जिसने निम्न सिफारिशें दी

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उसके संरक्षण आवश्यकता पर बल दिया। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने की बात कही।

- पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध की सलाह दी।

- ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन की बात कही।

- ग्राम पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- ग्राम पंचायतों / पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन और उनके कार्य से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो उसके निराकरण के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए।

थुगन समिति, 1988

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1988 में संसद की सलाहकार समिति एक उपसमिति पी. के. थुगन की अध्यक्षता में गठित की गई। जिसकी निम्न अनुशंसाएँ थी:-

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

- पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए।

- इस पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए।

गाडगिल समिति :-

गाडगिल समिति का गठन 1988 में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है इस संदर्भ में गाडगिल समिति ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ की थी।

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

- पंचायती राज संस्थाओं को त्रि-स्तरीय होनी चाहिए। इनके सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए।

- पंचायती राज संस्थाओं को कर (Tax) तथा Duties वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए।

- एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए।

पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानीकरण

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अनेक सरकारों ने पहल की जिसमें राजीव गाँधी,

सरकार से लेकर नरसिम्हा राव सरकार शामिल हैं। पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानीकरण के मामले पर विचार किया। पर इसमें प्रारंभिक विवादस्पद प्रावधानों के हटाकर एक नया प्रस्ताव रखा और सितम्बर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। जो अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया।

1992 का 73वां संशोधन अधिनियम

73 वे संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 शामिल किया गया है जिसे 'पंचायते' नाम से उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 243 से 243 ग' के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इस अधिनियम में संविधान में एक नई 11 "अनुसूची" की जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय-वस्तु को शामिल किया गया। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यावहारिक रूप दिया गया है जिसमें कहा गया है कि "ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकार देगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो।

73 वे संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था को तीन सोपान प्रणाली (त्रि-स्तरीय व्यवस्था) पंचायत की परिकल्पना की है जो ग्राम स्तर जिला स्तर पर है। जिला पंचायत और अंतर्वर्ती पंचायत जो ग्राम

और जिला पंचायतों के बीच होगी। यह स्तर उन्हीं राज्यों में होगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। निर्वाचकों को 'ग्राम सभा' की संज्ञा दी गई। एक पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांवों की निर्वाचन नामावली में दर्ज सभी लोग "ग्राम सभा" के नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना होगी।

- प्रत्येक पंचायत का अध्यक्ष राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार निर्वाचित होगा जिसमें बताया जाएगा कि ग्राम पंचायत और अंतर्वर्ती पंचायत के अध्यक्षों का जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा। इस विधि में संघ और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों भी शामिल हो सकते हैं लेकिन यह प्रावधान ग्राम स्तर से ऊपर के लिए होगा।

- अनुच्छेद 243(घ) में उपबंध किया गया है कि अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। उदाहरण के लिए यदि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 30% है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21% है तो उनके लिए क्रमशः 30% और 21% स्थान आरक्षित होंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे राज्य विधि बनाकर ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षित कर

सकता है। साथ ही राज्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थान या पद का भी आरक्षण कर सकता है।

राज्य सरकार के विधान मंडलो को यह विधायी शक्ति प्राप्त है कि वे स्थानीय शासन अर्थात् पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करे जिससे वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। राज्य सरकार द्वारा पंचायतीप राज्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उत्तरदायित्व दिए जा सकते हैं -

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों का क्रियान्वयन
- 11 वी अनुसूची में 29 मदें हैं उदाहरण स्वरूप - भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मात्स्यिकी, शिक्षा, महिला और बाल विकास आदि। 11वीं अनुसूची के द्वारा राज्य विधान मंडल और पंचायतों के बीच शक्ति का विभाजन उसी प्रकार किया गया है जैसे 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य विधान मंडलों के बीच

पंचायती राज व्यवस्था और वित्तीय साधन :

राज्य सरकारें विधि बनाकर किसी भी पंचायत को कर, शुल्क, पथकर आदि का उदग्रहण करने उनका संग्रह करने और उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। सरकारें संग्रहीत कर, शुल्क आदि भी पंचायतों को दिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया

यहाँ तक 1992 में संवैधानिक प्रावधान भी किया गया लेकिन जब पंचायतों का वित्तीय साधन की बात है तब वह राज्य सरकारों पर निर्भर रहती है हालांकि बहुत से ऐसे निर्वाचित ग्राम प्रधान भी हुए हैं जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत को आर्थिक साधन के रूप विकसित किए हैं, उदाहरण के रूप हरियाणा के कोसली ग्राम के संपन्न उर्मिला देवी अपनी सूझ बूझ से अपने ग्राम पंचायत के अपने संसाधन को मुहैया कराने का बीड़ा उठाया ग्राम पंचायत की 1 लाख रुपये की राशि को बैंक में जमाकर 3 लाख रुपये का ऋण लिया, जिससे कोसली बस स्टैंड पर 35 दुकानें बनवायीं। इन दुकानों से 12 हजार रुपये महीने की दर से किराया आता है।

पंचायती राज व्यवस्था और वित्त आयोग :

संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम लागू होने के तारीख 25-04-1993 से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य सरकारें पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने तथा निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करेगी।

- राज्य और पंचायतों के बीच कर, शुल्क और फीस का विभाजन।
- कौन से कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं।
- पंचायतों को सहायता अनुदाय।

13 वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भारी वृद्धि की गयी। उदाहरण स्वरूप 12वें वित्त आयोग के

द्वारा स्थानीय निकायों को 25,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जो तब 13वें वित्त आयोग इसे बढ़ाकर 87,519 करोड़ रुपये कर दी। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन होने वाले करों में 5% भाग पंचायतों के लिए अलग किया गया।

पंचायती राज और राज्य निर्वाचन आयोग

- पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली को तैयार करना है।
- पंचायतों के चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना ताकि चुनाव निष्पक्ष संपन्न हो सके।
- पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा।
- पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होगा।
- पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
- निर्वाचन होने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
- पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत विशेषता निम्नलिखित है।

पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

- देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का विकास करना
- ग्रामीण लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना
- लोगों के द्वारा नियोजन तथा विकास के लिए योजना को व्यवहारिक रूप प्रदान करना।

• स्थानीय लोगों में उत्तरदायी नागरिकता की भावना का विकास तथा व्यक्तियों के विश्वास में वृद्धि।

• स्थानीय जनता को राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप में राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना।

• संघ और राज्य सरकारों के प्रशासनिक बोझ को कम करना।

• विकास कार्यक्रम एवं नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करना।

• शासन व्यवस्था को अधिक वैधानिकता प्रदान करना।

साहित्य समीक्षा

• जी. पलानीथुराई ने अपनी पुस्तक "भारत में पंचायती राज : सिद्धान्त और व्यवहार में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के सैद्धांतिक पहलू के साथ उसके व्यवहारिक पक्षों को विस्तृत रूप में पस्तुत करती है जिनसे पंचायतों का समझने और उसके व्यवहारिक कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालती है। साथ ही इसमें संविधान, प्रशासन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण किया गया।

• बसु, दुर्गा दास ने अपनी पुस्तक "भारत का संविधान एक परिचय" में पंचायतें शीर्षक से पंचायती राज व्यवस्था के गठन, पंचायत की कार्यप्रणाली के संवैधानिक पहलू को चर्चा की गई है।

• लक्ष्मीकांत, एम (2020) अपनी पुस्तक "भारत की राजव्यवस्था" 6 वां संस्करण में पंचायती राज भीषक के माध्यम से पंचायती राज के विकास एवं विभिन्न

समितियों के माध्यम से इसके ऐतिहासिक विकास को समझाया गया है।

- नारंग. ए. एस ने अपनी पुस्तक "भारतीय शासन एवं राजनीति" में स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज के अध्याय के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली इसके विकास तथा सफलता के लिए व्यवहारिक पक्षों पर चर्चा की गई है।

- महिवाल, की पुस्तक पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं संभावनाएं " में पंचायतों पर विशेष अध्ययन किया है जिसमें प्राचीन काल से भारत में पंच परमेश्वर की अवधारणा से लेकर आधुनिक समय में जो पंचायतों के समक्ष वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों का वर्णन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

- पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाना ताकि आधारिक लोकतंत्र मजबूत हो सके।
- ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- भारत में पंचायती राज के माध्यम से स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का विकसित करना।
- ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रम एवं नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के प्रशासनिक कार्य को स्थानीय स्तर पर समाधान करना।

निष्कर्ष :-

समकालीन उदारीकरण और निजीकरण के युग में अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस संदर्भ में पंचायती राज अत्यधिक प्रासंगिक है, जहाँ विकास का विकेन्द्रीकरण होता है। पंचायतों को ज्यादा शक्ति प्रदान करने से छोटे राज्यों की मांग को समाप्त किया जा सकता है। उदारीकरण का प्रथम दौर मुख्यतः शहरों पर केन्द्रित है। ग्रामीण विकास सभवतः पंचायती राज व्यवस्था से ही संभव होने की उम्मीद है वहाँ आज ग्रामीण विकास सरकारी प्रयासों पर निर्भर है, इसलिए उदारीकरण के इस दौर में स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार जो भी विकास कार्यक्रम बनाएगी उनका क्रियान्वयन पंचायतों के द्वारा ही किया जाना होता है। स्थानीय स्तर पर पंचायतों के आधारभूत संरचना का निर्माण कर ही उदारीकरण के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

अनेक विसंगतियों के बावजूद पंचायती राज का प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अत्यधिक उल्लेखनीय बिन्दु है। कुछ राज्यों में पंचायती राज का विकास अत्यधिक प्रभावी रूप में हुआ, जिसमें केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य उल्लेखनीय हैं। वर्तमान समय में सूचना के अधिकार का प्रयोग, पंचायत द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा मांगने में किया जा रहा है, जिससे पंचायतों की अनियमितता पर प्रभावी प्रतिबंध स्थापित हुआ है। पंचायती राज द्वारा नागरिक केन्द्रित शासन का निर्माण किया गया है।

बिहार जैसे राज्यों ने पंचायतों में महिला आरक्षण 50% किए जाने से महिलाओं में राजनीतिक चेतना और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। जिनसे महिलाओं को निर्णय-निर्माण में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है।

उदारीकरण और निजीकरण के वर्तमान युग में पंचायतों की भूमिका ज्यादा प्रासंगिक है एवं इसे वित्तीय रूप में और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ:

1. नारंग, ए. एस "भारतीय शासन एवं राजनीति" गीताज्जली पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली, पृष्ठ-195
2. बसु, दुर्गा दास " भारत का संविधान, एक परिचय (Lexis Nexus) 466-230
3. लक्ष्मीकांत. एम (2020) 6: भारत की राज व्यवस्था McGraw Hill
4. महिपाल पंचायती राज: चुनौतियाँ एवं संभावना
5. कोठारी. रजनी - भारत में राजनीति
6. घोष बुद्ध देव 2000, "पंचायती राज: अवधारणा का विकास " सामाजिक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली (सामायिक पेपर 25)
7. माथुर, कुलदीप, "पंचायती राज " NBT, New Delhi,
8. कुमार. के. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रणनीतियाँ, कुरुक्षेत्र, V0139, N08, 1994

9. डॉ. महीपाल, डोगरा, भारत - पंचायत राज सम्भावनाएँ व कार्य शक्ति"- वाणी प्रकाशम पृष्ठ .141
10. <https://panchayat.gov.in>
11. <http://en.Wikipedia.org>
12. <http://services.india.gov.in>